रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 449] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 27, 2014/भाद्र 5, 1936
No. 449] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 27, 2014/BHADRA 5, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2014

सं. 26/2014 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 619(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 तथा वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को सेनवेट क्रेडिट (आठवाँ संशोधन) नियमावली, 2014 कहा जा सकता है।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 में नियम 9 के उप-नियम (1) में खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

" (चक) रेल द्वारा माल के परिवहन के लिए, भारतीय रेलवे द्वारा जारी सेवा कर प्रमाणपत्र (जिसको बाद में एसटीटीजी प्रमाणपत्र के रूप में संबोधित किया जाएगा), एसटीटीजी प्रमाणपत्र में उल्लिखित रेलवे रसीदों की प्रतियों के साथ; या "

[फा. सं. 267/87/2013-सीएक्स-8]
पंकज जैन, अवर सचिव

नोट:- मुख्य नियम अधिसूचना सं. 23/2004 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) दिनांक 10 सितम्बर, 2004 को सं. सा.का.नि. 600(अ), दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के तहत् भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अंतिम बार सं. सा.का.नि. 615(अ), दिनांक 25 अगस्त, 2014 के तहत् भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 25/2014 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 25 अगस्त, 2014 के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2014

No. 26/2014–Central Excise (N.T.)

G.S.R. 619(E).—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely : –

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Eighth Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the CENVAT Credit Rules, 2004, in rule 9, in sub-rule (1), after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—

"(fa) a Service Tax Certificate for Transportation of goods by Rail (hereinafter referred to as STTG Certificate) issued by the Indian Railways, along with the photocopies of the railway receipts mentioned in the STTG certificate; or"

[F. No. 267/87/2013-CX.8]

PANKAJ JAIN, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 10th September, 2004, *vide* Notification No. 23/2004 – Central Excise (N.T.) dated the 10th September, 2004, *vide* number G.S.R. 600(E), dated the 10th September, 2004 and last amended *vide* Notification No. 25/2014 - Central Excise (N.T.) dated the 25th August, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 615 (E), dated the 25th August, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.